FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत :– जिला मजिस्ट्रेट, पाली

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| हिरो फिनकोर्प लिमिटेड कम्पनी<br>पता–34, कम्यूनिटी सेन्टर, बसन्तलोक,<br>वसन्तविहार, नई दिल्ली–110057 | | 1. माताजी डाईंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड<br>पता– (1) ई–232, पूनायता, इन्डस्ट्रीयल एरिया,पाली राजस्थान–306401<br>(2) 13, शिव शक्ति एस्टेट, एनआर. रिटको रोडवेज, नारोल रोड, अहमदाबाद, गुजरात–382405<br>2. बजरंग कुमार केलानिया<br>23, सिंधी कॉलोनी, पाली, राजस्थान–306401<br>3. पारस केलानिया<br>23, सिंधी कॉलोनी, पाली राजस्थान–306401<br>4. आशा देवी अग्रवाल<br>23, सिन्धी कॉलोनी, पाली राजस्थान–306401 |

**किस्म मुकदमा :: विविध 37/2020**

**आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2020/00107**

धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/7/20 | प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने पाया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण संख्या 23/2019 पूर्व में इस न्यायालय में पेश हुआ था एंव जिसका निर्णय दिनांक 02.05.2019 को हुआ उक्त निर्णय के अनुसार यदि प्रस्तुत प्रकरण मे धारा 14 के तहत आदेश पारित किया जाता है तो माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 177/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2019 के उल्लंघन की श्रेणी में परिलक्षित होगा इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी हिरो फिनकॉर्प लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI ACT 2002 पर किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज किया गया एंव प्रार्थी कम्पनी को उक्त प्रकरण में पक्षकार सयोंजित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तथा स्थगन आदेश खारिज होने की दशा में पुनः नये सिरे से धारा 14 SARFAESI ACT 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु भी कथन किया गया। लेकिन वर्तमान में प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 29.06.2020 को पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर धारा 14 SARFAESI ACT 2002 के तहत आदेश जारी कराने हेतु निवेदन किया गया प्रार्थी कम्पनी द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पाली [illegible] संख्या 177/2018 में पारित स्थगन आदेश दिनांक [illegible].20 के खारिज होने संबधी किसी प्रकार का [illegible] अथवा शपथ पत्र आदिनांक प्रस्तुत नहीं किया। [illegible] स्वरूप प्रार्थी का यह [illegible] पत्र आधारहीन होने से खारिज [illegible]या जाता है। निर्ण[illegible] ईजलास सुनाया गया<br><br>जिला मजिस्ट्रेट, पाली<br>जिला मजिस्ट्रेट, पाली | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh

Date: 2021.03.05 19:28:30 IST

Reason: SelfAttested